

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री खुमाणसिंह पुत्र हमेरसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी तहसील घासा जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पुत्र हमेरसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी वाडा वावडी तहसील घासा जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर।
3. पटवारी, पटवार हल्का जावड तहसील घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 203/25 (वाद) GCMS No. – 2025/418

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिवाद आंशिक स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है कि मौजा वाडा वावडी पटवार हल्का जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 23 पर दर्ज आराजीयात भूमि में हमेरसिंह पुत्र केशरसिंह राजपुत के बजाय हमेरसिंह पुत्र केशरसिंह उर्फ भैरूसिंह राजपुत संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

